कार्यालय, लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

मनरेगा शिकायत वाद संख्या–60, 61 एवं 62/ 2018 द्वारा श्री विनोद पासवान एवं अन्य बनाम पंचायत रोजगार सेवक, तुरकौलिया मध्य, कार्यक्रम पदाधिकारी, तुरकौलिया।

वाद का वर्णन

परिवादीगण श्री विनोद पासवान, पिता–श्री रामदेव पासवान, श्रीमती सुकुलपती देवी, पति–श्री दशरथ पासवान और श्रीमती सुगान्ती देवी, पति–श्री सुनील पासवान, ग्राम–वसवरिया, ग्राम पंचायत राज–तुरकौलिया मध्य, प्रखंड–तुरकौलिया द्वारा आवेदन दिया गया है कि मनरेगा में वृक्षारोपण वर्ष 2014 में कार्य किया है, जिसका पूरा मजदूरी अभी तक नहीं मिला है। मजदूरी दिलवाने हेतु अनुरोध किया गया है।

कार्रवाई/सुनवाई

अतः उक्त आवेदन के आलोक में वाद दायर कर पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत राज–तुरकौलिया मध्य एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, तुरकौलिया को नोटिस जारी किया गया। पंचायत रोजगार सेवक, तुरकौलिया मध्य और कार्यक्रम पदाधिकारी, तुरकौलिया ने अपने पत्रांक–79 दिनांक–31.07.2018 द्वारा जवाब दिया गया है जो निम्न प्रकार है :–

परिवादी श्री विनोद पासवान द्वारा मनरेगा में कार्य नहीं कर आवेदककी पत्नी श्रीमती मनशोभा देवी, सुकुलपति देवी, पति–श्री दशरथ पासवान द्वारा कार्य किया गया है। परिवादी श्रीमती सुगान्ती देवी, द्वारा कार्य नहीं कर पति– श्री सुनील पासवान, पिता–श्री दशरथ पासवान द्वारा कार्य किया गया है। उक्त तीनों परिवादों द्वारा क्रमशः 2010–11 एवं 2011–12 दो वित्तीय वर्ष में कुल 165 दिन कार्य लगातार किया गया है। पूर्व वित्तीय वर्ष MIS खुलने पर मजदूरी भुगतान किया जा सकता है।

वाद सं0	परिवादी का नाम	पिता/पति का नाम	योजना सं0	जॉबकार्ड सं0	कार्य अवधि 2010–11	2011–12	कुल अवधि	मजदूरी दर	कुल मजदूरी रु0
60	श्रीमती मनशोभा देवी	श्री विनोद पासवान	34/2009–10	1076	65	100	165	114	165x114=18810
61	श्रीमती सुकुलपति देवी	श्री दशरथ पासवान	85/2009–10	02	65	100	165	114	165x114=18810
62	श्री सुनील पासवान	श्री दशरथ पासवान	45/2009–10	1683	65	100	16	114	165x114=18810

विचारणीय बिन्दु

(1) क्या परिवादीगण द्वारा मनरेगा में कार्य किया गया है ?

(2) क्या परिवादीगण को मजदूरी का भुगतान किया गया है ?

निष्कर्ष / निर्णय

पत्रावली और पंचायत रोजगार सेवक, तुरकौलिया मध्य कार्यक्रम पदाधिकारी, तुरकौलिया द्वारा समर्पित विस्तृत जाँच प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि परिवादीगण द्वारा मनरेगा वृक्षारोपण योजना में काम किया गया है लेकिन मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। मनरेगा एक्ट के तहत 15 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान किया जाना है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण गांरटी अधिनियम की अनुसूची II में पारा–29 के अनुसार मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जाय।

आदेश

1. कार्यक्रम पदाधिकारी, तुरकौलिया को आदेश दिया जाता है कि परिवादीगण का बकाया मजदूरी भुगतान क्षतिपूर्ति राशि के साथ यथाशीध्र किया जाय।
2. क्षतिपूर्ति की वसूली विलम्ब के लिए उत्तरदायी कर्मियों से किया जाय।

31/8/18

लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
31.8.18

ज्ञापांक–51/दिनांक–31.8.18

प्रतिलिपि :– **प्रधान सचिव**, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– **जिला कार्यक्रम समन्वयक(मनरेगा)–सह–जिलाधिकारी**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ समर्पित।।

प्रतिलिपि :– **उप विकास आयुक्त**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **कार्यक्रम पदाधिकारी**, तुरकौलिया / पंचायत रोजगार सेवक, तुरकौलिया मध्य एवं परिवादीगण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

31/8/18

लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

o/c

31.8.18